भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2163

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2023/17 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया

इरादतन चूककर्ताओं के लिए समझौता निपटान पर परामर्श

2163. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने "फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ्स" प्रकाशित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे इरादतन चूककर्ता अथवा कंपनी को समझौता निपटान करने के 12 माह बाद नया ऋण मिल सकता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में मंत्रालय की राय मांगी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इरादतन चूककर्ताओं की कुल संख्या कितनी है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों की आज की तारीख के अनुसार बकाया राशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (घ): प्रणाली में मौजूद दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को गति प्रदान करने और साथ ही सभी विनियमित संस्थाओं में अनुदेशों को तर्कसंगत और सुसंगत बनाने के उद्देश्य से बैंको तथा गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों के विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 8.6.2023 के अपने परिपत्र के माध्यम से सभी विनियमित संस्थाओं के लिए समझौता निपटान और तकनीकी रुप से बट्टे खाते डालने संबंधी व्यापक विनियामकीय फ्रेमवर्क जारी किया है। इस मामले में वित्तीय सेवाएं विभाग से परामर्श नहीं किया गया है। उपर्युक्त फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है;

(i) विनियमित संस्थाओं (आरई) से यह अपेक्षा है कि वे तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तथा उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान करने के लिए एक बोर्ड अनुमोदित नीति लागू करें।

(ii) समझौता निपटान तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने की शक्ति ऋण/निवेश एक्सपोजर की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी से एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी में निहित होती है।

(iii) धोखाधड़ी करने वाले अथवा इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं से संबंधित समझौता निपटान के सभी मामलों में बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है।

(iv) ऐसे उधारकर्ताओं को विनियमित संस्थाओं द्वारा नया एक्सपोजर प्रदान करने से पूर्व संबंधित बोर्ड अनुमोदित नीतियों द्वारा यथा निर्धारित कूलिंग अवधि को लागू किया गया है।

(v) जहां भी विनियमित संस्थाओं द्वारा न्यायिक फोरम के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही आरम्भ की गई थी तथा उक्त कार्यवाही लम्बित हो तो, उधारकर्ताओं के साथ किया जाने वाला कोई भी समझौता संबंधित न्यायिक प्राधिकारी से सहमति डिक्री प्राप्त करने के अध्याधीन होगा।

(vi) समझौता निपटान करने का उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के सर्वोत्तम हित में न्यूनतम लागत पर दबावग्रस्त उधारकर्ता से अधिक से अधिक संभावित वसूली की जानी होनी चाहिए।

इरादतन चूककर्ता समझौता निपटान करने के 12 माह तक नया ऋण प्राप्त नहीं कर सकता है। इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में आरबीआई के दिनांक 1.7.2015 के मास्टर परिपत्र तथा धोखाधड़ी के संबंध में दिनांक 1.7.2016 के मास्टर निदेश के अनुसार इरादतन चूककर्ता अथवा धोखाधड़ी करने वाले के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के संबंध में लागू दंडात्मक प्रावधानों के संबंध में पूर्वाग्रह के बिना समझौता निपटान के साधारण मामलों के लिए सामान्य निर्धारण के रूप में 12 माह की कुलिंग अवधि की शुरूआत की गई है।

500 करोड़ रूपये तथा इससे अधिक की आस्ति आकार वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों(एससीबी) तथा शहरी सहकारी बैंकों को 5 करोड़ रूपये तथा इससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले सभी उधारकर्ताओं के संबध में कतिपय ऋण संबंधी सूचना बड़े ऋणों के संबंध में सूचना की केद्रींय रिपोजेटरी (सीआरआईएलसी) को देनी होती है। सीआरआईएलसी में दी गई सूचना के अनुसार एससीबी तथा यूसीबी के संबंध में इरादतन चूककर्ताओं का बैंक-वार ब्यौरा क्रमश: अनुबंध I तथा अनुबंध II में दिया गया है।

*****

अनुबंध I

इरादतन चूककर्ताओं के लिए समझौता निपटान पर परामर्श के संबध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2163

दिनांक 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में इरादतन चूककर्ताओं का ब्यौरा

राशि करोड़ रुपए में

बैंक नाम	संख्या	बकाया राशि
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन	1	5
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	1	9
एक्सिस बैंक लिमिटेड	21	1,135
बैंक ऑफ बड़ौदा	460	23,016
बैंक ऑफ इंडिया	218	15,176
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	152	6,079
बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	1	-
केनरा बैंक	222	15,135
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	88	6,737
सिटीबैंक एन.ए.	1	18
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	1	17
सीएसबी बैंक लिमिटेड	44	164
डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड	6	176
फेडरल बैंक लिमिटेड	46	560
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	6	17
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	30	2,264
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	74	4,722
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	2	58
इंडियन बैंक	129	10,517
इंडियन ओवरसीज बैंक	125	11,213
कर्नाटक बैंक लिमिटेड	24	412
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	21	469
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	14	374
पंजाब एंड सिंध बैंक	29	816
पंजाब नैशनल बैंक	479	30,845
आरबीएल बैंक लिमिटेड	5	50
साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	12	528
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	14	117
भारतीय स्टेट बैंक	995	27,849
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	6	321
यूको बैंक	101	9,125
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	451	29,558
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	28	2,623
वूरी बैंक	1	8
यस बैंक लिमिटेड	9	2,110

स्रोत: आरबीआई

*****

अनुबंध II

इरादतन चूककर्ताओं के लिए समझौता निपटान पर परामर्श के संबध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2163

दिनांक 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों में इरादतन चूककर्ताओं का ब्यौरा

राशि करोड़ रुपए में

बैंक	संख्या	बकाया राशि
अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	2	39
अल्मोडा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	4	15
बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	2	14
सिटीजन क्रेडिट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	2	14
कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	1	38
ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	4	29
जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	15	170
एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	2	27
नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	2	10
राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	2	10
सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	2	178
सूरत पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	1	26
सुवर्णयुग सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	1	6

स्रोत: आरबीआई

*****